



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

No. 217]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2007/श्रावण 9, 1929.

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2007/SRAVANA 9, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक

01 अप्रैल, 2007 के का.ज्ञा. सं.10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर के तहत जारी पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश नीति, 2007 (एनईआईआईपी, 2007) के अनुसरण में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है:-

1. संक्षिप्त नाम: यह योजना केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2007 कहलायेगी।
2. प्रारंभ और अवधि: यह योजना 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।
3. लागू होना: जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, इस योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी नये औद्योगिक एककों के साथ साथ मौजूदा एककों जो पर्याप्त विस्तार के लिए जाते हैं और पूर्वोत्तर में कहीं भी स्थित हैं, ब्याज राजसहायता के लिए पात्र होंगे। यह योजना निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों/उद्योगों के लिए भी लागू होगी:-

I. सेवा क्षेत्र

- (i) होटल (दो सितारा श्रेणी से कम नहीं), साहसिक कार्य (एडवेन्चर) तथा सेपवेज सहित खाली समय के स्पोर्ट्स;
- (ii) 25 विस्तरों की न्यूनतम क्षमता के साथ नर्सिंग होम तथा वृद्धाश्रमों की प्रकृति में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं;

- (iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे होटल मैनेजमेंट, केटरिंग तथा फूडक्राफ्ट्स, उद्यमियता विकास, नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल के लिए संस्थान, नागर विमानन से जुड़े प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक प्रशिक्षण।

II. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग

III. विद्युत जनित्रण उद्योग

परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों स्रोतों पर आधारित 10 मेगावाट तक के विद्युत जनित्रण ग्रन्थ।

3(क): यह योजना अनुबंध-1 में सूचीबद्ध उद्योगों को लागू नहीं होगी।

4. परिभाषाएं:

(क): “औद्योगिक एकक” से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक उपक्रम और उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाये गये एकक से भिन्न है।

(ख): “नये औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसके बनावे जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग): “विद्यमान औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसकी स्थापना योजना की संचालन की तारीख अर्थात् 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व की गई थी।

(घ): “पर्याप्त विस्तार” से क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधिकरण प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक एकक की संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अल्प की वृद्धि अभिप्रेत है, और

(ङ): “प्रभावी उपाय” से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक अभिप्रेत है:-

- (i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है,
- (ii) कि फैक्टरी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है,
- (iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

(च): “स्थिर पूंजी निवेश” से भूमि, बिल्डिंग और संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

स्थिर पूंजी निवेश का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

(क) भूमि:- संयंत्र के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सीमा तक भूमि के लिए वास्तविक कीमत की अदायगी। पट्टे पर ली गई भूमि के प्रभार हिसाब में नहीं लिये जायेंगे।

- (ख) भवन:- वैसे ही जैसे भूमि के मामले में है। किराये पर लिये गये भवन का किराया हिसाब में नहीं लिया जायेगा।
- (ग) संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए)

(क) संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर संयंत्र एवं मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जायेगा जिसमें टूल, जिग्स, ड्राइयां तथा मौल्ड्स, परिवहन प्रभार, बीमा प्रीमियम इत्यादि जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत भी शामिल होगी, को भी हिसाब में लिया जायेगा।

(ख) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयुक्त की गई राशि माल को लाने ले जाने में निवेश की गई राशि हिसाब में ली जायेगी।

(ग) कच्चे माल तथा अन्य उपभोग्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा।

(छ) स्थिर पूंजी :- स्थिर पूंजी लेखा वर्ष के अन्तिम दिन को फैक्टरी के स्वामित्वाधीन स्थिर परिसंपत्तियों के ह्रास मूल्य की द्योतक है। स्थिर परिसंपत्तियां वे हैं जिनकी सामान्य उत्पादकता अवधि एक वर्ष से अधिक की है। स्थिर परिसंपत्तियों में फैक्टरी कार्मिकों के लिए नई अथवा प्रयुक्त अथवा स्वयं निर्मित वे सभी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो कि उत्पादन, परिवहन, निर्वाह अथवा मनोरंजन सुविधाओं, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इनमें फैक्टरी को आवंटनीय प्रधान कार्यालय की स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं और ब्याज की राशि को छोड़कर किराया खरीद आधार (चाहे वे पूर्णरूपेण अदा किया हो अथवा नहीं) पर ली गई परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य भी शामिल है। इसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और केवल बिक्री, भंडारण, वितरण इत्यादि जैसे निर्माणोत्तर कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

(ज) वास्तविक कार्यशील पूंजी :- वास्तविक कार्यशील पूंजी की परिभाषा में लेखा वर्ष के अन्तिम दिन फैक्टरी के स्वामित्वाधीन, धारित या नियंत्रित सामग्री, ईंधन और स्नेहक, भण्डार-सामग्री इत्यादि जैसी वे सभी वास्तविक वस्तुएं शामिल हैं जिनका समावेश फैक्टरी द्वारा स्वतः विनिर्मित उत्पादों में होता है अथवा जिनकी फैक्टरी द्वारा प्रसंस्करण के लिए अन्यों को आपूर्ति की जाती है। वास्तविक कार्यशील पूंजी में केवल पुनः बिक्री किए जाने हेतु खरीदी गयी सामग्री, ईंधन और भण्डार-सामग्री आदि का स्टॉक, अर्ध-निर्मित माल और अन्यों के कारण चल रहे कार्य तथा लेखा वर्ष के अंत में बिक्री हेतु तैयार की गई फैक्टरी द्वारा विनिर्मित वस्तुएं भी शामिल हैं। तथापि, इसमें अन्यों द्वारा प्रसंस्करण हेतु फैक्टरी को आपूरित सामान, ईंधन, भण्डार सामग्री, आदि का स्टॉक शामिल नहीं किया जाता है। फैक्टरी द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यों द्वारा प्रसंस्कृत तैयार माल और उनके द्वारा धारित मदों को शामिल

किया जाता है और अन्यो द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्टरी द्वारा प्रसंस्कृत की गयी मदों को शामिल नहीं किया जाता है।

(1) कार्यशील पूंजी : जैसा कि पहले ही ऊपर परिभाषित किया गया है वास्तविक कार्यशील पूंजी हाथ में और बैंक में नकद जमा राशि और लेखा वर्ष के अंत में देय राशियों पर प्राप्त राशियों के निवल शेष का कुल योग होती है। तथापि, कार्यशील पूंजी में अप्रयुक्त ओवर ड्राम्ट सुविधा, स्थिर जमा राशियां चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, फिर परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए अग्रिम, मालिकों और हिस्सेदरों द्वारा ऋण तथा अग्रिम चाहे उनका प्रयोजन और अवधि कुछ भी हो, ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण तथा निवेश की राशि, शामिल नहीं है।

नोट : संयंत्र तथा मशीनरी और अन्य सघटकों की परिभाषा को अलग से अधिसूचित किया जायेगा जिन्हें (पैरा 3 (I, II और III) में उल्लिखित) सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत जनित्रण उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जायेगा।

5. अनुमत्य राजसहायता की सीमा :-

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी पात्र औद्योगिक एककों को, अधिसूचित बैंकों अथवा केन्द्रीय/राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी पर, उत्पादन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए 3 प्रतिशत तक ब्याज राज-सहायता दी जायेगी।

6. कार्यशील पूंजी परिकलन के मापदंड :

इस योजना के प्रयोजनार्थ, एकक की न्यूनतम कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का उसके वार्षिक कारोबार के 25 प्रतिशत की दर पर परिकलन किया जायेगा। उपर्युक्त न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने के उपरान्त, आवश्यकता पड़ने पर, वस्तु-सूची संबंधी मापदंडों को लागू किया जाये। ऐसे एकक जिनके बारे में मापदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं/मानदंड लागू नहीं होते हैं (जो कि 10 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी की सीमा से नीचे आने वाले एकक हैं) उनके कार्यशील पूंजी संबंधी अनुरोध पर तब तक अनुग्रहपूर्वक विचार किया जाये जब तक उनकी कार्यशील पूंजी न्यूनतम स्तर के बराबर न हो जाये। वस्तु सूची और प्राप्यों के संबंध में विशेष मापदंड भी तैयार किये जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों के तहत जहां आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप में कम हैं, न्यूनतम स्तर से नीचे कार्यशील पूंजी को न्यायोचित माना जाये जैसाकि लघु उद्योग क्षेत्र में सुनिश्चित निविष्टियों की आपूर्ति और उत्पादन विकास वाले सहायक एककों के मामले में किया जाता है।

7. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी :

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन ई डी एफ आई), गुवाहाटी संबंधित राज्य सरकार की राज्य स्तरीय समिति की (एसएलसी) सिफारिशों के आधार पर पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी होगी।

8. ब्याज राजसहायता का दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रक्रिया
 इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र नये औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए प्रभावी उपाय करने से पूर्व संबंधित राज्य उद्योग विभाग के साथ स्वयं को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा। इसी तरह, मौजूदा औद्योगिक एकक उपक्रम पर्याप्त विस्तार को भी ऐसा विस्तार किये जाने से पूर्व राज्य उद्योग विभाग के साथ स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए। सभी एककों, चाहे वे नये हों अथवा विद्यमान हों, को कुल नई अथवा उनके द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश की जाने वाली संभावित अतिरिक्त स्थिर पूंजी का स्वयं के मूल्यांकन को बताना अपेक्षित होगा।
9. ब्याज राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया :
 - (i) प्रत्येक सम्बद्ध राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अहर्ता पर निर्णय लेने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करेगी, जिसमें प्रत्येक संबंधित राज्य विभाग, राज्य वित्त विभाग, राज्य उद्योग विभाग, राज्य उद्योग निदेशालय, एन.ई.डी.एफ.आई. तथा इसके संबंधित वित्तीय संस्थान के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, जहाँ से एकक ने कार्यशील पूंजी ऋण लिया है, यह समिति प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेगी कि क्या एकक इस योजना के तहत ब्याज राजसहायता के अनुदान के लिए तथा यह भी कि इस योजना के तहत पात्र राजसहायता की मात्रा के बारे में भी अहर्ता पूरी करता है।
10. एन.ई.डी.एफ.आई. द्वारा एकक को राजसहायता का संवितरण सम्बद्ध राज्य सरकार की राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा,
11. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकार :
 यदि केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता आवश्यक तथ्यों के बारे में मिथ्याकथन करके, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद अथवा राजसहायता का लाभ उठाने के बाद 2 वर्ष की अवधि के अंदर उत्पादन करना बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान एकक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं।
12. उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को उक्त औद्योगिक एकक को सम्पूर्ण रूप में अथवा उसके किसी भाग के संस्थापना स्थल को बदलने के लिए या योजना के अंतर्गत

- संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात् 2 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में पर्याप्त सक्षेपण अथवा इसके अधिकांश भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. सभी एककों के बारे में जिन्हें अनुदान अथवा राजसहायता एनईडीएफआई/राज्य सरकार द्वारा वितरित की गई है, उस प्रयोजनार्थ अनुदान अथवा राजसहायता के उपयोग का प्रमाण पत्र जिसके लिए इसे दिया गया था, को उद्योग के केन्द्रीय मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) को संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा अंतिम किस्त/पूर्ण राशि की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।
 14. राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक एकक, उत्पादन प्रारंभ किए जाने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अपने क्रियाकलापों के बारे में उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 15. एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति अनुबंध-II में दिये अनुसार गठित की जायेगी जो योजना के क्रियान्वयन की मानीटरी करेगी।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबंध - I

प्रतिबन्धित सूची :

निम्नलिखित उद्योग एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे :-

- (i) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24, जिसका संबंध तम्बाकू एवं विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापकों से है, के तहत शामिल सभी उत्पाद।
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पान मसाला।
- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 705(ई) दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई) दिनांक 17.6.2003 द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग।
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के तहत पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित वस्तु।

मूल्य संवर्धन

वो वस्तु जिनके संबंध में सिर्फ बाह्य कार्य जैसे कि भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई कार्य, पैकिंग, पुनः पैकिंग, वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण, छँटाई, खुदरा बिक्री मूल्य में बदलाव आदि किया जाता है उन पर एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ लागू नहीं होंगे।

अनुबंध - II

उच्च स्तरीय समिति/सलाहकार समिति

(i)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iii)	सचिव, बैंकिंग एवं बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iv)	सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(v)	सलाहकार (औद्योगिक), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vi)	सलाहकार (पूर्वोत्तर), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।	...	सदस्य
(viii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग)।	...	सदस्य
(ix)	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(x)	अपर सचिव एवं त्रिस्तरीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xi)	मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xii)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2007

No.10(3)/2007-DBA-II/NER.— In pursuance of the North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy, 2007(NEIIPP, 2007) issued by Ministry of Commerce and Industry vide O.M. No.10(3)/2007-DBA-II/NER, dated the 1st April, 2007, the Government of India is pleased to make the following Scheme of interest subsidy on the working capital loans for industrial units in the North-Eastern Region (NER) comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura with a view to accelerating industrial development in the region.

1. Short title: This Scheme may be called the Central Interest Subsidy Scheme, 2007.
2. Commencement and duration: It will be effective from the 1st April, 2007 and remain in force upto and inclusive of 31.3.2017.
3. Applicability: Unless otherwise specified, all new industrial units as well as existing units which go in for substantial expansion and are located anywhere in NER, will be eligible for interest subsidy under this Scheme. The Scheme will also be applicable to the following service sector activities/industries: -

I. Service Sector:

- (i) Hotels (not below Two Star category), adventure and leisure sports including ropeways ;
- (ii) Medical and health services in the nature of nursing homes with a minimum capacity of 25 beds and old-age homes ;
- (iii) Vocational training institutes such as institutes for hotel management, catering and food crafts, entrepreneurship development, nursing and para-medical, civil aviation related training, fashion, design and industrial training.

II. Bio-technology industryIII. Power Generating Industries:

Power Generating plants upto 10 MW based on both conventional and non-conventional sources.

3.(a). The Scheme shall not be applicable to the industries listed in Annexure-I

4. Definitions:

- (a) 'Industrial unit' means any industrial undertaking, suitable servicing unit other than that run departmentally by Government.
- (b) 'New industrial unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 1.4.2007.
- (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit set-up prior to the operative date of the scheme i.e. 1.4.2007.
- (d) 'Substantial expansion' means increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than 25 % for the purpose of expansion of capacity/modernization and diversification.
- (e) 'Effective steps' means one or more of the following steps:-
 - (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.
 - (ii) that any part of the factory building has been constructed.
 - (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.
- (f) 'Fixed Capital Investment' means investment in land, building and plant and machinery.

Total fixed capital investment will be assessed as follows:

(A) **Land:** The actual price paid for the land to the extent needed for the purposes of the plant. Charges for the leased land will not be taken into account.

(B) **Building:** Same as in the case of land. Rent of a hired building will not be taken into account.

(C) **Plant and machinery (for manufacturing sector).**

(a) In calculating the value of plant and machinery, the cost of plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies & moulds; transport charges, insurance premium, etc. will also be taken into account.

(b) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products, will be taken into account.

(c) Working capital including raw materials and other consumable stores will be excluded for computing the value of plant and machinery.

(g) **Fixed Capital** represents the depreciated value of fixed assets owned by the factory on the closing day of the accounting year. 'Fixed assets' are those which have a normal productive life of more than one year. 'Fixed capital' covers all types of assets, new or used or own constructed, deployed for production, transportation, living or recreational facilities, hospitals, schools etc. for factory personnel. It includes the fixed assets of the head office allocable to the factory and also the full value of assets taken on hire purchase basis (whether fully paid or not) excluding interest element. It excludes intangible assets and assets solely used for post manufacturing activities such as sale, storage, distribution etc.

(h) **Physical Working Capital** is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels & lubricants, stores etc., that enter into products manufactured by the factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels & stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.

(i) **Working Capital** is the sum total of the physical working capital as defined in para (h) above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable at the end of the accounting year. Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long-term loans including interest thereon and investments.

[Note: Definition of Plant and Machinery and other components which could be taken into account for the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-Technology industry & Power Generating industries referred to in para 3 (I, II & III) would be notified separately]

5. Extent of admissible subsidy:

All eligible industrial units located anywhere in the North Eastern Region shall be given an interest subsidy to the extent of 3% on the working capital advanced to them by the Scheduled Banks or Central/State financial institutions, for a maximum period of 10(ten) years from the date of commencement of commercial production.

6. Norms for Working Capital calculation:

For the purpose of this Scheme, the minimum working capital requirement of a unit shall be worked out @ 25 % of their annual turnover. Inventory norms may be applied, if necessary, after providing for aforesaid minimum level. In respect of such units for which norms have not been laid down/are not applicable (due to the units coming below the cut off point of Rs.10 lakhs of working capital), the request of working capital should be considered favourably so long as the working capital is not very much above such minimum level. Special norms can also be evolved for inventory and receivables. Working capital below the minimum level may be justified under special circumstances in which the requirement is demonstrably lower, as in the case of ancillary units in the small scale sector with assured supply of inputs and off-take of output.

7. Designated Agency for disbursement of Subsidy

North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi), Guwahati shall be the designated agency for disbursement of interest subsidy on the basis of the recommendation of the State Level Committee (SLC) of the concerned State Government.

8. Procedure for claiming Interest subsidy:

New industrial units eligible for subsidy under the Scheme will be required to get themselves registered with the State Industry Department concerned prior to taking effective steps for setting up. Similarly, existing industrial units undertaking substantial expansion should also get themselves registered with the State Industry Department prior to such expansion. All the units, whether new or existing would be required to indicate their assessment of the total new or additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery.

9. Procedure for disbursement of Interest Subsidy:

- (i) Each State Government concerned will set up a State Level Committee consisting of a representative each of the State Department concerned, State Finance Department, State Industry Department, State Directorate of Industries, NEDFi and the Financial Institution concerned from where working capital loan has been raised by the unit, to go into each case to decide whether the unit qualifies for the grant of interest subsidy under the scheme and also about the quantum of eligible subsidy under the scheme.
- (10) The subsidy will be disbursed to the industrial unit by NEDFi on the recommendation of the State Level Committee of the State Government concerned.

11. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions:

If the Central government/State Government/Financial Institution concerned is satisfied that the subsidy to an industrial unit has been obtained by misrepresentation of the essential facts, furnishing of false information or if the unit goes out of production within 2 years after commencement of commercial production or after having availed the subsidy under the scheme, the Central Government/State Government/Financial Institution concerned, may ask the unit to refund the subsidy after giving opportunity to the concerned to be heard.

12. Without taking prior approval of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit will be allowed to change the location of the whole or any part of the industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 2 years of receiving a part or the whole of the subsidy under the scheme.

13. In respect of all units to whom the grant or subsidy is disbursed by the NEDFi/State Government, certificate of utilization of the grant or subsidy for the purpose for which it was given shall be furnished to the Central Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) by the financial institution/State Government concerned within a period of one year from the date of receipt of the last instalment/full amount.

14. After receiving the subsidy, each industrial unit shall submit annual progress report to the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

15. A High Level Monitoring Committee has been set up as in Annexure-II which would monitor implementation of the Scheme.

N. N. PRASAD, Jr. Secy.

ANNEXURE-I

Negative List:

The following industries will not be eligible for benefits under NEIIPP, 2007:-

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No.S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O.698 (E) dated 17.6.2003.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by petroleum oil or gas refineries.

Value Addition

Benefits under NEIIPP, 2007 will not be admissible to goods in respect of which only peripheral activities like preservation during storage, cleaning operations, packing, re-packing, labelling or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place.

High Level Committee/Advisory Committee

(i)	Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Chairman
(ii)	Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iii)	Secretary, Department of Banking and Insurance, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iv)	Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, Government of India.	...	Member
(v)	Adviser (Industry), Planning Commission	...	Member
(vi)	Adviser (NE), Planning Commission	...	Member
(vii)	Chairman-cum-Managing Director, North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati.	...	Member
(viii)	Principal Secretary/Secretary (Industry), of all the State Governments of North Eastern Region.	...	Member
(ix)	Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India.	...	Member
(x)	Additional Secretary & Financial Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Member
(xi)	Chief Controller of Accounts, Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India	...	Member
(xii)	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	...	Member Secretary

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2007 के का.ज्ञा. सं.10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर के तहत जारी पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश नीति, 2007 (एनईआईआईपी, 2007) के अनुसरण में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु पूंजी निवेश राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है:-

1. संक्षिप्त नाम: यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2007 कहलायेगी।
2. प्रारंभ और अवधि: यह योजना 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।
3. लागू होना: जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, इस योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी नये औद्योगिक एककों के साथ साथ मौजूदा एकक जो पर्याप्त विस्तार के लिए जाते हैं और पूर्वोत्तर में कहीं भी स्थित हैं, पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे। यह योजना निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों/उद्योगों के लिए भी लागू होगी:-

I. सेवा क्षेत्र

- (i) होटल (दो सितारा श्रेणी से कम नहीं), साहसिक कार्य (एडवेन्चर) तथा रोपवेज सहित खाली समय के स्पोर्ट्स;
- (ii) 25 बिस्तरों की न्यूनतम क्षमता के साथ नर्सिंग होम तथा वृद्धाश्रमों की प्रकृति में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं;
- (iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग तथा फूडक्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल के लिए संस्थान, नागर विमानन से जुड़े प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

II. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगIII. विद्युत जनित्रण उद्योग

परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों स्रोतों पर आधारित 10 मेगावाट तक के विद्युत जनित्रण यन्त्र।

3(क): यह योजना अनुबंध-1 में सूचीबद्ध उद्योगों के लिए लागू नहीं होगी।

4. परिभाषाएं :

(क) “औद्योगिक एकक” से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक उपक्रम, और उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाये गये एकक से भिन्न है।

(ख) “नये औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसे स्थापित किए जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) “विद्यमान औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसकी स्थापना के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व की गई थी।

(घ) “पर्याप्त विस्तार” से, क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधिकरण प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक एकक की संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) “प्रभावपूर्ण कार्यवाही” से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक अभिप्रेत है:-

- (i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है,
- (ii) कि फैक्टरी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है,
- (iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

(च) 'स्थिर पूंजी निवेश' का अर्थ है इस योजना के प्रयोजनार्थ 'संयंत्र और मशीनरी' में निवेश।

5. अनुमेय राजसहायता की सीमा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी स्थित सभी पात्र औद्योगिक एककों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश या संयंत्र और मशीनरी में अतिरिक्त निवेश के 30% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता दी जाएगी। ऐसी राजसहायता निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के एककों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एककों के लिए देय होगी। इस दर से राजसहायता के स्वतः अनुमोदन की सीमा 1.5 करोड़ रुपये होगी। 1.5 करोड़ रुपये से अधिक किंतु अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 21 मई, 2007 के ओ.एम. फा.सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर के द्वारा गठित एक अधिकार समिति होगी। (अनुबंध-II)

ऐसे प्रस्तावों को, जो 30 करोड़ रुपये से अधिक की राजसहायता हेतु पात्र होंगे, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ व अनुमोदन हेतु उनके समक्ष रखा जाएगा।

6. संयंत्र तथा मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए)

- (i) संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर स्थापित किए गए औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जाएगा जिसमें टूल, जिप्स, डाई तथा मोल्ड्स, बीमा प्रीमियम, इत्यादि जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत भी शामिल होंगी।
- (ii) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयुक्त राशि माल जो लाने ले जाने वाले वाहनों में निवेश की गई हो, राशि हिसाब में ली जाएगी।
- (iii) कच्चे माल तथा अन्य उपभोग्य भंडारों सहित, कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

6(क) ऊपर पैरा 3(i), (ii), और (iii) में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत जनित्रण क्षेत्र के संबंध में इस योजना के प्रयोजनार्थ 'संयंत्र और मशीनरी' और 'घटक' की परिभाषा जो हिसाब में ली जानी है, अलग से अधिसूचित की जाएगी।

7. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी

पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी संबंधित राज्य सरकार की राज्य स्तरीय समिति, अधिकार प्राप्त समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसा मामला हो, की सिफारिश के आधार पर पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी होगी।

8. पूंजी निवेश राजसहायता दावा करने हेतु प्रक्रिया

उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नए एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व संबंधित राज्य विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल नई या अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा।

9. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया

संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसमें प्रत्येक संबंधित राज्य उद्योग विभाग, राज्य वित्त विभाग, राज्य उद्योग निदेशालय, एनईडीएफआई, तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है तो संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10. वित्तीय संस्थाओं अथवा संबंधित राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के संबंध में एकक को राजसहायता पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा एकक

के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार अधिकार प्राप्त समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसा मामला हो, की सिफारिश पर वितरित की जाएगी। इसी तरह वित्तीय संस्थानों अथवा संबंधित राज्य सरकारों से बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकार, अधिकार प्राप्त समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसा मामला हो, की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किए जाने और एकक द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने के पश्चात् दी जाएगी।

तथापि, ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य सरकार सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाए तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् ही जारी की जाए।

11. संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा वितरित की जाएगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा संबंधित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए जिसमें गिरवी, शपथ, राजसहायता की राशि तक परिसंपत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त नए औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किशतों में वितरित की जाएगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्थान से वित्तीय संस्था द्वारा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्था तथा संबंधित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाय जिसमें गिरवी/शपथ/संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम ऋण की राशि तक एकक की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो।
12. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकार :
यदि केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान एकक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं।
13. केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार वित्तीय संस्थानका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात् उस संपूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में पर्याप्त संक्षेपण अथवा उसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुति नहीं दी जाएगी।

14. उन संगी एककों के संबंध में जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है। जिनके लिए वह दी गई है, केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा जिस तिथि को अंतिम किस्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।
15. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यचालन के बारे में उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
16. एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति अनुबंध-III में दिये अनुसार गठित की जायेगी जो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबंध - I

प्रतिबन्धित सूची :

निम्नलिखित उद्योग एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे :-

- (i) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24, जिसका संबंध तम्बाकू एवं विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापकों से है, के तहत शामिल सभी उत्पाद।
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पाम मसाला।
- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 705(ई) दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई) दिनांक 17.6.2003 द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग।
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के तहत पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित वस्तु।

मूल्य संवर्धन

वो वस्तु जिनके संबंध में सिर्फ बाह्य कार्य जैसे कि भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई कार्य, पैकिंग, पुनः पैकिंग, वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण, छँटाई, खुदरा बिक्री मूल्य में बदलाव आदि किया जाता है उन पर एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ लागू नहीं होंगे।

अनुबंध - II

समर्थ समिति

(i)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iii)	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iv)	योजना आयोग के प्रतिनिधि।	...	सदस्य
(v)	भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव जो समर्थ समिति के विचारार्थ प्रस्तावों से संबंधित विषय को देखते हैं।	...	सदस्य
(vi)	संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों जहां दावा करने वाला एकक स्थापित है/स्थापित करने का प्रस्ताव है, के मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग)।	...	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।	...	सदस्य
(viii)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य सचिव

अनुबंध - III

उच्च स्तरीय समिति/सलाहकार समिति

(i)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iii)	सचिव, बैंकिंग एवं बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iv)	सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(v)	सलाहकार (औद्योगिक), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vi)	सलाहकार (पूर्वोत्तर), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।	...	सदस्य
(viii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग)।	...	सदस्य
(ix)	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(x)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xi)	मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xii)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER—In pursuance of the North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007 (NEIIPP, 2007) issued by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide O.M. No.10 (3)/2007-DBA-II/NER, dated the 1st April, 2007, the Government of India is pleased to make the following Scheme of Capital Investment Subsidy for industrial units in the North Eastern Region (NER) comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura with a view to accelerating the industrial development in the NER.

1. Short Title:- This Scheme may be called the 'Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2007'.
2. Commencement and duration: - It will come into effect from the 1st April, 2007 and remain in force upto and inclusive of 31.3.2017.
3. Applicability:- Unless otherwise specified, all new industrial units as well as existing units which go in for substantial expansion and are located anywhere in NER, will be eligible for capital investment subsidy under this Scheme. The Scheme will also be applicable to the following service sector activities/industries: ✓

I. Service Sector:

- (i) Hotels (not below Two Star category), adventure and leisure sports including ropeways ;
- (ii) Medical and health services in the nature of nursing homes with a minimum capacity of 25 beds and old-age homes ;
- (iii) Vocational training institutes such as institutes for hotel management, catering and food crafts, entrepreneurship development, nursing and para-medical, civil aviation related training, fashion, design and industrial training.

II. Bio-technology industry

III. Power Generating Industries:

Power Generating plants upto 10 MW based on both conventional and non-conventional sources.

3.(a). The Scheme shall not be applicable to the industries listed in Annexure-I

4. Definitions:

- (a) 'Industrial unit' means any industrial undertaking, suitable servicing unit other than that run departmentally by Government.
- (b) 'New industrial unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 1.4.2007
- (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were taken prior to 1.4.2007.

- (d) 'Substantial expansion' means ~~increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than 25 %, for the purpose of expansion of capacity /modernization and diversification.~~
- (e) 'Effective steps' means one or more of the following steps:-
 - (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.
 - (ii) that any part of the factory building has been constructed.
 - (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.
- (f) 'Fixed Capital Investment' means investment in 'plant and machinery', for the purpose of this scheme.

5. Extent of admissible Subsidy

All eligible industrial units located anywhere in the North Eastern Region shall be given capital investment subsidy at the rate of 30% of their investment in Plant and Machinery or additional investment in Plant and Machinery. Such subsidy will be applicable to units in the private sector, joint sector, cooperative sector as well as the units set up by the State Governments concerned of the North Eastern Region. The limit for automatic approval of subsidy at this rate would be Rs.1.5 crore. For grant of capital investment subsidy higher than Rs.1.5 crore but upto a maximum of Rs.30 crore, there will be an Empowered Committee set up vide O.M. F.No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 21st May 2007. (Annexure-II)

Proposals which are eligible for a subsidy higher than Rs.30 crore will be placed by Department of Industrial Policy and Promotion before the Union Cabinet for its consideration and approval.

6. Plant and Machinery (for manufacturing sector)

- (i) In calculating the value of plant and machinery, ~~the cost of industrial plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipments, such as tools, jigs, dies & moulds, insurance premium etc.~~
- (ii) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products, will be taken into account.
- (iii) Working capital including raw materials and other consumables stores, will be excluded for computing the value of plant and machinery.

6(a). Definition of 'Plant and Machinery' and 'components' which should be taken in to account for the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology industry & Power Generating industries referred to in para 3 (I), (II) & (III) above would be notified separately.

7. Designated Agency for disbursement of subsidy

North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi), Guwahati shall be the designated nodal agency for disbursement of capital investment subsidy under the Scheme on the basis of the recommendation of State Level Committee (SLC) of the concerned State Government, the Empowered Committee and the Union Cabinet, as the case may be.

8. Procedure for claiming capital investment subsidy

Industrial units eligible for subsidy under the Scheme will be required to get themselves registered with the State Industry Department concerned prior to taking effective steps for setting up new industrial units or undertaking substantial expansion of existing units and to indicate their assessment of the total new or additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery.

9. Procedure for disbursement of capital investment subsidy

Each State Government concerned will set up a State Level Committee (SLC) consisting of representative of each of the State Finance Department, State Industries Department, State Directorate of Industries, NEDFi and the Financial Institution concerned (if the industrial unit is to be assisted by a financial institution), to go into details of each case to decide whether the unit qualifies for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10. In respect of a new industrial unit set up without assistance from a Financial Institution or the State Government concerned, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFi on the recommendation of the State Government, the Empowered Committee and the Union Cabinet, as the case may be, at the time the unit goes into production. Similarly, in respect of substantial expansion by an existing industrial unit without assistance from the financial institutions or the State Government concerned, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFi on the recommendation of the State Government concerned, the Empowered Committee and the Union Cabinet, as the case may be after substantial expansion has been effected and the unit has commenced enhanced commercial production.

However, in such cases where the concerned State Government is satisfied about the safety of the public funds, not more than half of the amount of the estimated subsidy may be released prior to the unit going into production on the entrepreneur's furnishing a proof of having taken effective steps to the satisfaction of State Director of Industries and the remaining amount be released only after the unit goes into production.

11. In respect of an industrial unit assisted/ to be assisted by a Financial Institution or the State Government concerned, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFi on the recommendation of the State Government concerned, the Empowered Committee and the Union Cabinet, as the case may be. However, in such cases, the contract/agreement to be drawn up between the Financial Institution/ State Government and the unit concerned, may cover mortgage, pledge, hypothecation of the assets upto the amount of the subsidy payable/paid to the units. In respect of new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit to be assisted by a financial institution, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFi in as many instalments in which the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed by the Financial Institution/State Government from NEDFi.

12. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

If the Central Government/State Government/Financial Institution concerned is satisfied that the subsidy to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of production within 5 years after commencement of commercial production, the Central Government/State Government/NEDFi may ask the unit to refund the grant or subsidy after giving an opportunity to the unit of being heard.

13. Without taking prior approval of the Union Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) /State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the subsidy will be allowed to change the location of

the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production.

14. In respect of all units to whom the subsidy is disbursed by the NEDFi, certificate of utilisation of the subsidy for the purpose for which it was given shall be furnished to the Central Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) by the financial institution/State Government concerned, within a period of one year from the date of receipt of the last instalment/full amount.

15. After receiving the subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report (APR) to the Union Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)/ State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

16. A High Level Monitoring Committee has been set up as in Annexure-III which would monitor implementation of the Scheme.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Negative List:

The following industries will not be eligible for benefits under NEIIPP, 2007:-

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment and Forests. Notification No.S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O.698 (E) dated 17.6.2003.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by petroleum oil or gas refineries.

Value Addition

Benefits under NEIIPP, 2007 will not be admissible to goods in respect of which only peripheral activities like preservation during storage, cleaning operations, packing, re-packing, labelling or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place.

ANNEXURE-IIEmpowered Committee:

(i)	Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	...	Chairman
(ii)	Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, Government of India.	...	Member
(iii)	Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iv)	Representative of Planning Commission.	...	Member
(v)	Secretary of the concerned Ministry/ Department of Government of India dealing with the subject matter pertaining to the proposal under consideration of the Empowered Committee.	...	Member
(vi)	Chief Secretary/ Secretary (Industry) of the concerned North East State where the claiming unit is located/ proposed to be located.	...	Member
(vii)	Chairman-cum-Managing Director, North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati.	...	Member
(viii)	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Member Secretary

ANNEXURE-III

High Level Committee/Advisory Committee

(i)	Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Chairman
(ii)	Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iii)	Secretary, Department of Banking and Insurance, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iv)	Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, Government of India	...	Member
(v)	Adviser (Industry), Planning Commission	...	Member
(vi)	Adviser (NE), Planning Commission	...	Member
(vii)	Chairman-cum-Managing Director, North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati.	...	Member
(viii)	Principal Secretary/Secretary (Industry), of all the State Governments of North Eastern Region.	...	Member
(ix)	Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India.	...	Member
(x)	Additional Secretary & Financial Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Member

(xi)	Chief Controller of Accounts, Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India	...	Member
(xii)	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	...	Member Secretary

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2007

सं. 10(3)/2007-बीबीए-II/एनईआर,— वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2007 के का.ज्ञा. सं.10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर के तहत जारी पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश नीति, 2007 (एनईआईआईपी, 2007) के अनुसरण में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में औद्योगिक एकाकों हेतु व्यापक बीमा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है:-

1. संक्षिप्त नाम: यह योजना केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2007 कहलायेगी।
2. प्रारंभ और अवधि: यह योजना 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।
3. लागू होना: जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, इस योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी नये विनिर्माण औद्योगिक एकाकों के साथ साथ मौजूदा एकक जो पर्याप्त विस्तार के लिए जाते हैं और पूर्वोत्तर में कहीं भी स्थित हैं, व्यापक बीमा योजना के तहत 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। यह योजना निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों/उद्योगों के लिए भी लागू होगी:-

I. सेवा क्षेत्र:

- (i) होटल (दो सितारा श्रेणी से कम नहीं), साहसिक कार्य (एडवेन्चर) तथा रोपवेज सहित खाली समय के स्पोर्ट्स;
- (ii) 25 विस्तरों की न्यूनतम क्षमता के साथ नर्सिंग होम तथा वृद्धाश्रमों की प्रकृति में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं;
- (iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग तथा फूडक्राफ्ट्स, उद्यमियता विकास, नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल के लिए संस्थान, नागर विमानन से जुड़े प्रशिक्षण, फैशन डिजाइन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण।

- II. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग
 III. विद्युत जनित्रण उद्योग

परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों स्रोतों पर आधारित 10 मेगावाट तक के विद्युत जनित्रण यन्त्र।

3(क): यह योजना अनुबंध-I में सूचीबद्ध उद्योगों को लागू नहीं होगी।

4. परिभाषाएं:

(क): “औद्योगिक एकक” से अभिप्रेत है कोई भी उद्योग जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति ‘ग’ में शामिल है।

(ख): “नये औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसके बनावे जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग): “विद्यमान औद्योगिक एकक” से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसकी स्थापना योजना की संचालन की तारीख अर्थात् 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व की गई थी।

(घ): “पर्याप्त विस्तार” से क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधिकरण प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक एकक की संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अल्प की वृद्धि अभिप्रेत है।

(नोट: “संयंत्र और मशीनरी” तथा “अन्य संघटकों” को अलग से अधिसूचित किया जाएगा जिन्हें पैरा (I, II और III) में उल्लिखित सेवा-क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत जनित्रण उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जा सकेगा)।

5. बीमित राशि का निर्धारण:- प्रस्तावक द्वारा घोषित किये जाने वाले बाजार मल्यांकन पर बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी जारी की जायेगी।

6. राजसहायता संवितरण के लिए नामोद्दिष्ट अभिकरण:- संबंधित राज्य सरकार की राज्य स्तर की समिति (एसएलसी) की सिफारिशों के आधार पर बीमा प्रीमियम के संवितरण के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई) गुवाहाटी नामोद्दिष्ट अभिकरण होगा।

7. संचालन की विधि: प्रारम्भिक प्रीमियम का भुगतान बीमित पक्ष करेगा जिसकी नाडल अभिकरण द्वारा सम्पोषित चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) से नोडल अभिकरण (एनईडीएफआई) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस चक्रीय निधि के लिए निधियां औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दी जायेंगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में प्रजीकृत सभी सामान्य बीमा कम्पनियों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ-साथ निजी) द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां स्कीम के तहत लाभ के लिए पात्र समझी जायेंगी।

8. ऐसी सभी इकाइयां जिन्हें एनईडीएफआई/राज्य सरकार द्वारा राजसहायता वितरित की गयी है और जिस उद्देश्य के लिए राजसहायता दी गयी थी, उसके उपयोग का प्रमाण-पत्र संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार के माध्यम से अन्तिम किश्त/पूरी राशि की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

9. स्कीम के तहत परिकल्पित बीमा पॉलिसी अनुबंध-क में दर्शाये अनुसार होगी।

10. एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति अनुबंध- II के अनुसार गठित की गयी है जो स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुबंध - क

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के लिए विस्तृत बीमा पोलिसी

इस संबंधी अनुसूची में नामांकित बीमाकृत को ध्यान में रखते हुए, जिसने ---
----- इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया है) को उक्त अनुसूची में उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, कंपनी इस बात से सहमत है (इसमें निहित अथवा इस पर पृष्ठांकित या अन्यथा व्यक्त शर्तों व अपवर्जनों के अधीन) कि यदि प्रीमियम के भुगतान के बाद उक्त अनुसूची में नामांकित बीमा की अवधि के दौरान या किसी ऐसी अनुवर्ती अवधि के दौरान जिसके लिए बीमाकृत ने भुगतान कर दिया हो और कंपनी ने पोलिसी के नवीकरण के लिए अपेक्षित प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो तो उक्त अनुसूची में वर्णित बीमाकृत प्रीमियम स्वीकार कर लिया हो तो उक्त अनुसूची में वर्णित बीमाकृत संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति के किसी भाग के निम्नलिखित से नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर :-

1. आग
2. बिजली गिरने
3. विस्फोट/अन्तर्विस्फोट, लेकिन (क) बायलरों (घरेलू बायलरों के अतिरिक्त), इकोनोमाइजर्स या अन्य पात्रों, मशीनों या उपकरणों के नाश या क्षति को छोड़कर जिनमें भाप का जनित्रण होता है या इनकी अंतर्निहित वस्तुएं जो अपने स्वयं के विस्फोट/अन्तर्विस्फोट से उत्पन्न हुई हों (ख) केन्द्रविमुखी बल के कारण।
4. इस पर मुद्रित दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति संबंधी धारा के अनुसार दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति।
5. किसी रेल/सड़क वाहन या पशु का प्रभाव।
6. वायुयान तथा अन्य हवाई और/या अन्तरिक्ष उपकरण और/या वहां से गिरायी गयी वस्तुएं लेकिन इन उपकरणों के कारण हुई दबाव की लहरों से हुए विनाश या क्षति को छोड़कर।
7. तूफान, धक्रवात, बवण्डर, अन्धड़, आंधी, टोरनेडो, बाढ़ और जलप्रलय।
8. जमीन घंसना और भूस्खलन (चट्टान खिसकने सहित) जिसके कारण पूरा भवन या इसका कोई भाग ढह जाए।

9. भूकंप, अग्नि और आघात।

कंपनी बीमाकृत को संपत्ति के नाश के समय इसके मूल्य अथवा इस प्रकार की क्षति की राशि का भुगतान करेगी अथवा अपने विवेक से इस प्रकार की संपत्ति या इसके किसी भाग को पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित करेगी।

बशर्ते कि प्रत्येक मद के संबंध में कंपनी की देनदारी उक्त अनुसूची में उल्लिखित योग जिस पर बीमा किया जाना है या कुल मिलाकर इसके द्वारा किए गए बीमे के कुल योग या ऐसे अन्य योग या योगों से अधिक नहीं होगी जो कंपनी या कंपनी की ओर से हस्ताक्षरित इस बारे में संलग्न इस पर ज्ञापन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं।

दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण-एवं आतंकवादी क्षति संबंधी शर्त

यह पोलिसी दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण एवं आतंकवादी क्षति पर निम्न प्रकार लागू होती है:-

1. बीमाकृत संपत्ति को बाहरी हिंसक साधनों से नुकसान या दृश्यमान भौतिक क्षति जो निम्नलिखित द्वारा सीधे ही पहुंचायी गयी हो :

1. सार्वजनिक शांति की विघनता में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भाग लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य (चाहे यह हड़ताल या तालाबंदी के संबंध में हो या न हो) जो अपवर्जन 7 (क), (ख) में उल्लिखित घटना न हो।
2. इस प्रकार के उपद्रव को दबाने या दबाने का प्रयास करने में या इस प्रकार के उपद्रव के परिणामों को कम से कम करने में किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण की कार्रवाई।
3. हड़ताल को बढ़ाने में या तालाबंदी का विरोध करने में किसी हड़ताली या तालाबंदी कार्यकर्ता द्वारा जानबूझकर की गयी कार्रवाई जिसके फलस्वरूप बाहरी हिंसक साधनों से दृश्यमान भौतिक क्षति हुई हो।
4. इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने या रोकने का प्रयास करने में या इस प्रकार की कार्रवाई के परिणामों को कम से कम करने में कानूनी रूप से गठित किसी प्राधिकरण की कार्रवाई।
5. किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की चूक को छोड़कर कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई (चाहे यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए की गयी हो या नहीं) बशर्ते कि कंपनी चोरी, सेंधमारी के कारण अथवा इसमें भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के प्रयास के कारण किसी हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

II विस्फोट अथवा अन्यथा बीमाकृत संपत्ति को निम्नलिखित द्वारा सीधे क्षति :

1. किसी संगठन की ओर से या इसके संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गयी आतंकवादी कार्रवाई।
2. इस प्रकार के आतंकवाद को दबाने या दबाने का प्रयास करने में या इसके परिणामों को कम से कम करने में कानूनी रूप से गठित किसी प्राधिकरण की कार्रवाई।

इस धारा के प्रयोजन के लिए “आतंकवाद” का अर्थ राजनीति कार्यो के लिए हिंसा का सहारा लेना होगा और जनता या जनता के किसी वर्ग में भय बनाये रखने के लिए हिंसा का प्रयोग शामिल होगा।

अपवर्जन

निम्नलिखित इस बीमा के दायरे में नहीं हैं :-

1. किसी बीमाकृत जोखिम के घटना अथवा बाद में चोरी से होने वाला नुकसान जिसमें दंगे, हड़ताल तथा विद्वेषपूर्ण क्षति खंड में यथा प्रदत्त को छोड़कर।
2. संपत्ति के उष्णकरण अथवा शुष्ककरण प्रक्रिया के कारण इसे होने वाली हानि अथवा क्षति।
3. निम्नलिखित से अथवा द्वारा अथवा के परिणामस्वरूप होने वाली हानि अथवा क्षति:
 - (क) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति जलने पर।
 - (ख) तहखाने में आग लगने पर।
4. परमाणु अस्त्र सामग्री द्वारा अथवा उनसे अथवा उनके फलस्वरूप अथवा उनके योगदान से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से होने वाली हानि अथवा क्षति।
5. किसी परमाणु ईंधन अथवा परमाणु ईंधन प्रज्वलन से किसी परमाणु अपशिष्ट से अथवा उससे उत्पन्न अथवा उसके फलस्वरूप अथवा उसके आयननकारी विकिरण के योगदान अथवा रेडियो-सक्रियता दूषण से होने वाली प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हानि अथवा क्षति।
6. अधिक चलाने, अधिक दाव, शार्ट सर्किट, चाप, स्वतः उष्मा अथवा लीकेज अथवा विद्युत जो भी कारण हो (बिजली गिरने सहित), के कारण अथवा से होने वाला किसी विद्युत मशीन, साधन, फिक्सर अथवा फिटिंग (जिसमें बिजली के पंखे बिजली का घरेलू सामान अथवा घरेलू उपकरण वायरलेस सेट, टेलीविजन सेट तथा रेडियो शामिल हैं) को होने वाली हानि अथवा क्षति बशर्ते कि यह छूट ऐसे प्रभावित विद्युत अधिष्ठापन के केवल किसी खास विद्युत मशीन, उपकरण, फिक्सर, फिटिंग अथवा उसके मार्ग पर लागू होगी और ऐसे किसी विद्युत अधिष्ठापन के अन्य मशीनों, उपकरणों, फिक्सरों, फिटिंगों अथवा उसके भागों पर लागू नहीं होगी जो ऐसी स्थापन में आग से नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होता हो।
7. निम्नलिखित किसी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष घटना से अथवा के जरिए अथवा के फलस्वरूप होने वाली कोई हानि अथवा क्षति, अर्थात :-
 - (क) युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु द्वारा आक्रमणकारी कार्यवाही अथवा युद्ध संदृश कार्य (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), सिविल युद्ध
 - (ख) सैन्यद्रोह, नागरिक विद्रोह सार्वजनिक विद्रोह, सैन्य विद्रोह, राज द्रोह, विद्रोह, क्रांति, सैन्य अथवा बल प्रयोग करके।

जहां कंपनी यह आयोजित करती है कि उपर्युक्त अपवर्जन उपबंधों के कारण कोई हानि अथवा क्षति इस बीमा के दायरे में नहीं आनी है, तत्संबंधी किसी कार्यवाही, दावा अथवा अन्य कार्यवाही हेतु ऐसी हानि अथवा क्षति दायरे को सिद्ध करने का भार बीमाकृत पर होगा।

8. सोना-चांदी, अपरिष्कृत बहुमूल्य पत्थर, कोई विलक्षण अथवा कलाकृति- 1000 रुपये में अधिक राशि की, पांडुलिपि, आयोजना, आरेखन, पैटर्न, मॉडल अथवा मोल्ड, प्रतिमूर्तियां, किसी प्रकार का दायित्व अथवा प्रलेखन, स्टाम्प, सिक्के अथवा कागजी मुद्रा, चेक, लेखा-वही अथवा अन्य व्यावसायिक बही, कंप्यूटर सिस्टम रिकार्ड, विस्फोटक, जब तक कि पालिसी में अन्यथा रूप से व्यक्त न किये गये हों।
9. यदि बीमांकित संपत्ति को किसी ऐसे भवन अथवा स्थान से जिसमें इसका बीमा किया गया हो, अन्य किसी भवन अथवा स्थान में ले जाया जाता है, जिसमें मरम्मत, सफाई, नवीकरण अथवा अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अस्थाई तौर पर अधिकतम 60 दिनों के लिए हटाई गई मशीनरी और उपकरण शामिल नहीं है।

इस बीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

- (क) उपार्जन की हानि, विलंब से होने वाली हानि, बाजार अथवा अन्य कारणों से होने वाली हानि अथवा अप्रत्यक्ष हानि अथवा किसी प्रकार अथवा किस्म की क्षति, जो कुछ भी हो।
- (ख) समूचा अथवा आंशिक विराम कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रक्रिया अथवा प्रचालन अथवा चूक संबंधी बाधा अथवा व्यवधान अथवा विराम से होने वाली हानि अथवा क्षति।
- (ग) किसी कानून सम्मत प्राधिकरण द्वारा जप्त आदेश अथवा अक्षिग्रहण के फलस्वरूप स्थायी अथवा अस्थायी बेदखली से होने वाली हानि अथवा क्षति।
- (घ) किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार के कारण उसके द्वारा ऐसे भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी अथवा उसमें प्रवेश पर रोक लगाने से किसी भवन अथवा संयंत्र अथवा इकाई अथवा मशीनरी के स्थाई अथवा अस्थाई बेदखली से होने वाली हानि अथवा क्षति।

बशर्ते कि जब तक कि उक्त कंपनी बेदखली से पूर्व अथवा अस्थाई बेदखली के दौरान होने वाली बीमांकित संपत्ति के वास्तविक नुकसान के लिए बीमांकित किसी देनदारी के लिए ऊपर (ग) अथवा (घ) की शर्त से मुक्त न हो जाए।

शर्त :-

1. यह पॉलिसी अनुचित अत्यावेदन, अनुचित विवरण अथवा किसी सामग्री विशेष की घोषणा नहीं किये जाने के कारण अमान्य होगी।
2. इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी भवन के अथवा इसके भाग के अथवा भवन के पूर्ण अथवा इसकी श्रेणी के किसी भी भाग अथवा ऐसी कोई भी संरचना जिसका यह भवन हिस्सा है के गिरने अथवा विस्थापित होने की तारीख के सात दिन के अवधि के समाप्त होने पर पूरा बीमा समाप्त हो जायेगा।

बशर्ते कि भवन का इस प्रकार से गिरना अथवा विस्थापन उन बीमाकृत खतरों, हानि अथवा क्षति से न हो इस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं अथवा अन्तर्गत रखे जाते यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे भवन, भवनों की श्रेणी अथवा संरचना का बीमा किया होता। उपर्युक्त इन सब बातों के होते हुए भी कंपनी भवन के किसी भी प्रकार से ऐसे गिरने अथवा विस्थापित होने के 7 दिन में तुरन्त सूचना दिये जाने पर स्वयं द्वारा निर्णित और इस संबंध में लिखित रूप में पुष्टि की गई संशोधित दरों, निबन्धन व शर्तों के अंतर्गत बीमा जारी रखने पर सहमत हो सकती है।

3. उक्त बीमा, बीमाकर्ता के अनुरोध पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, जिस स्थिति में कंपनी उस अवधि के लिए प्रीमियम प्रचलित अल्प अवधि दर पर रखेगी जिस अवधि में उक्त पॉलिसी प्रभावी है। यह बीमा कंपनी की इच्छा पर बीमाकर्ता को इस संबंध में दी जा रही 15 दिन की सूचना पर भी समाप्त किया जा सकता है जिस स्थिति में कंपनी पर, मांग पर रद्द करने की तिथि से असमाप्त अवधि के लिए प्रीमियम के अनुपस्थित हिस्से को लौटाने का दायित्व होगा।
4. (1) किसी भी हानि अथवा क्षति होने पर, बीमाकर्ता कंपनी को इसकी तुरन्त सूचना देगा और हानि अथवा क्षति के 15 दिनों के भीतर अथवा उतना और समय जितना कंपनी उस में लिखित में अनुमति दे, कंपनी को इसकी सूचना देगी।

(क) हानि अथवा क्षति का लिखित रूप में दावा, जिसमें विवरण स्वरूप सभी अनेक वस्तुओं अथवा मर्दों अथवा क्षतिग्रस्त अथवा तबाह हुई सम्पत्ति, और वस्तुओं अथवा मर्दों की हानि अथवा क्षति जिसमें किसी भी प्रकार का लाभ शामिल न हो, के मद्देनजर उनको होने वाली हानि अथवा क्षति की राशि का लेखा।

(ख) अन्य सभी बीमों का विवरण, यदि कोई हो तो बीमाकर्ता को भी हर समय अपने खर्चे पर, दावों और उनसे संबद्ध किसी भी अन्य विषयों की सत्यता की घोषणा और शपथ अथवा सत्यता की अन्य वैधानिक

प्रपत्र सहित कंपनी को ऐसे वे सभी विवरण, योजनाएं, विनिर्देशन, की किताबें, वाउचर, बीजक, अनुलिपियां अथवा उनकी प्रतियां, दस्तावेज, अन्वेषक प्रतिवेदन (आन्तरिक/बाह्य) दावे और आग की उत्पत्ति और कारण के प्रमाण-पत्र और सूचना तथा हानि अथवा क्षति होने की परिस्थितियां और देयता का कोई भी मामला अथवा कंपनी की देयता की राशि कंपनी में प्रस्तुत करे, उसे हासिल करे और उसे प्रदान करे जो कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से यथोचित अपेक्षित हो।

नीति के अंतर्गत कोई भी दावा तब तक देय नहीं होगा जब तक निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न किया गया हो।

- (ii) यदि बीमाकर्ता हानि की तारीख से 6 महीनों के भीतर इसके बारे में कोई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता तो कंपनी के पास दावे को दावा न मानने का अधिकार सुरक्षित है।
- (iii) कंपनी को किसी भी स्थिति में हानि अथवा क्षति होने के समय से 12 महीने की समाप्ति के उपरान्त किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा यदि दावा लम्बित कार्यवाही अथवा निर्णयाधीन का विषय है। यह स्पष्ट रूप से सम्मत और घोषित है कि यदि कंपनी इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के दावे का परित्याग करती है और जिसे दावे को परित्याग की तारीख से 12 पंचाग मासों के भीतर न्यायालय में मुकदमे की विषय वस्तु नहीं बनाया गया हो तो दावे का सभी प्रयोजनों के लिए परित्याग समझा जायेगा और इसके अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर दावे की वसूली नहीं होगी।

5. इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचने पर, कंपनी निम्न कदम उठायेगी :-

(क) जिस भवन अथवा परिसर में हानि अथवा क्षति हुई है उसमें प्रवेश करना और उस पर कब्जा करना तथा उस पर कब्जा रखना।

(ख) हानि अथवा क्षति के समय भवन अथवा परिसर में बीमाकर्ता की किसी भी सम्पत्ति को कब्जे में लेना अथवा जिसका इसको सौंपा जाना अपेक्षित हो।

(ग) किसी भी ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखना और इस प्रकार की सम्पत्ति की जांच, वर्गीकरण प्रबंध, हटाना अथवा अन्यथा इसका निपटान करना।

(घ) किसी भी प्रकार की ऐसी सम्पत्ति को बेचना अथवा जिस किसी से भी संबंधित हो उसकी ओर से ऐसी सम्पत्ति को बेचना।

कंपनी द्वारा इस शर्त के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का किसी भी समय प्रयोग किया जायेगा जब तक बीमाकर्ता लिखित में यह सूचना नहीं दे देता कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावा नहीं करेगा, अथवा यदि कोई भी दावा किया जाता है जब तक ऐसे दावे का अन्तिम रूपा से निर्धारण अथवा इसे वापिस नहीं किया जाता, और कंपनी इसके अंतर्गत अपनी शक्तियों में किये गये किसी भी कार्य अथवा इन शक्तियों के प्रयोग के अभिप्राय से कंपनी बीमाकर्ता की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी अथवा किसी भी दावे इत्यादि के समाधान में इस पॉलिसी की किसी भी शर्त पर निर्भर करने के लिए अपने अधिकारों को कम नहीं करेंगी। यदि बीमाकृत अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कंपनी की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है या कंपनी के कार्य में व्यवधान अथवा बाधा पहुंचाता है तो नीचे दी गयी कंपनी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिये जायेंगे। किसी भी स्थिति में बीमाकृत को किसी संपत्ति को कंपनी के लिए छोड़ देने का अधिकार नहीं होगा चाहे कंपनी ने उसका कब्जा लिया हो अथवा नहीं।

6. यदि दावा किसी भी प्रकार से कपटपूर्ण हो अथवा इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा की जाए, अथवा यदि बीमाकृत द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्यरत किसी अन्य द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्यरत किसी अन्य द्वारा कोई घोखेबाजीपूर्ण साधन अथवा युक्ति का उपयोग किया जाए अथवा यदि हानि या क्षति जानबूझकर की गयी कार्यवाही से अथवा बीमाकृत की गुप्त सहमति से पैदा हो, तो इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
7. यदि कंपनी अपनी ओर से हानि अथवा क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाय क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट संपत्ति को या उसके किसी भी भाग को पुनः स्थापित अथवा प्रतिस्थापित करती है, या किसी अन्य कंपनी अथवा बीमाकर्ता के साथ मिलकर ऐसा करती है तो कंपनी बिल्कुल उसी रूप में अथवा पूर्णतः पुनः स्थापना हेतु बाध्य नहीं होगी बल्कि जितना परिस्थितियों को देखते हुए संभव होगा और तार्किक रूप से पर्याप्त होगा, ओर किसी भी प्रकार से कंपनी पुनः स्थापना पर उससे अधिक खर्च नहीं करेंगी जितना हानि के समय की संपत्ति की स्थिति में पुनः स्थापित करने पर लागत आती और यह राशि कंपनी द्वारा उस संपत्ति की बीमाकृत राशि से अधिक नहीं होगी। यदि कंपनी इस प्रकार से किसी संपत्ति को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनः स्थापित करने के विकल्प का चुनाव करती है तो बीमाकृत अपने खर्च पर कंपनी को ऐसी योजना उपलब्ध करायेगा। विनिर्देशन, मापन, परिमाण ओर अन्य ऐसे विवरण जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो, ओर कोई भी कार्य जो कंपनी द्वारा पुनः स्थापना अथवा प्रतिस्थापना की दृष्टि से न किसी गया हो अथवा कराया गया हो, कंपनी द्वारा पुनः स्थापना अथवा प्रतिस्थापन हेतु किया गया चुनाव माना जायेगा।

यदि किसी मामले में, गलियों को मिलाने अथवा भवन निर्माण संबंधी नगरपालिका अथवा अन्य के विनियमों के कारण कंपनी एतद्वारा बीमाकृत संपत्ति की पुनः स्थापना अथवा मरम्मत में असमर्थ रहती है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में कंपनी को उतनी राशि का भुगतान करना होगा जितना उक्त संपत्ति को पहले की स्थिति में पुनः स्थापित करने हेतु आवश्यक होगा।

8. बीमाकृत, कंपनी के खर्च पर ऐसे सभी कार्यों और बातों के लिए सहयोग करेगा और करने की अनुमति प्रदान करेगा, जिनके लिए कंपनी इस पालिसी के तहत नुकसान अथवा हानि-पूर्ति का भुगतान करने के कारण अन्य पार्टियों से जिनके स्थान पर कंपनी राहत अथवा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र अथवा प्रतिस्थापित हो जायेगी अथवा अधिकारों और उपचारों का प्रयोग करने के उद्देश्य से जो जो कंपनी के लिए आवश्यक होंगे अथवा जिनकी कंपनी को तार्किक रूप से आवश्यकता होगी, चाहे ऐसे कार्य और बातें कंपनी द्वारा उसको क्षति-पूर्ति किये जाने से पूर्व आवश्यक हो जाएं अथवा उनकी जरूरत हो।
9. यदि एतद्वारा बीमाकृत किसी संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाने के समय कोई अन्य बीमा (एक या अधिक) प्रभावी हो, चाहे वे बीमाकृत द्वारा कराये गये हो अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसी संपत्ति के संबंध में हो, तो यह कंपनी ऐसी हानि या क्षति के अपने अनुपातिक हिस्से से अधिक का भुगतान करने को बाध्य नहीं होगी।
10. यदि एतद्वारा बीमाकृत संपत्ति की कीमत किसी बीमाकृत जोखिम के घट जाने के समय उसकी बीमा की गई रकम से अधिक हो, तो जो अंतर होगा उसके लिए यह माना जायेगा कि बीमाकृत ही अपना बीमाकर्ता है, और तदनुसार हानि का अनुपातिक हिस्सा वहन करेगा। यदि पालिसी की मदें एक से अधिक हों तो प्रत्येक मद पर यह शर्त अलग से लागू होगी।

किंतु इस शर्त के अधीन कि यदि बीमाकृत संपत्ति की एतद्वारा बीमा की गई राशि इस पालिसी के तहत बीमाकृत जोखिमों में किसी के भी प्रचालन के समय अथवा ऐसे विनाश या क्षति के समय बीमाकृत संपत्ति की सामूहिक कीमत के 85% (पचासी प्रतिशत) से कम न हुई, तो इस शर्त का कोई उद्देश्य और प्रभाव नहीं रह जाएगा।

11. यदि इस पालिसी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा को लेकर कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है (जबकि जिम्मेदारी स्वीकार कर ली गई हो) तो अन्य प्रश्नों को एक तरफ रखकर ऐसे मतभेद को एक अनन्य मध्यस्थ को सौंपा जायेगा जिसकी नियुक्ति लिखित में पार्टियों द्वारा की जायेगी अथवा यदि वे एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते तो किसी भी पार्टी द्वारा मध्यस्थता की याचना किये जाने के 30 दिन के भीतर मतभेद के तीन मध्यस्थों के एक पैनल को सौंपा जायेगा, जिनमें से एक-एक मध्यस्थ झगड़े की दोनों पार्टियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इन दो मध्यस्थों द्वारा की जायेगी और मध्यस्थता की कार्यवाही 'मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996' के तहत और उसके अनुसार की जायेगी। इस बात से स्पष्ट रूप से सहमति है और इसे समझ लिया गया है कि यदि कंपनी ने इस पालिसी के तहत अथवा इसके संबंध में विवाद किया हो अथवा दायित्व स्वीकार न किया हो, तो कोई भी मतभेद या विवाद इसमें पहले उपलब्ध कराये अनुसार मध्यस्थों को नहीं सौंपा जायेगा।

एतद्वारा यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित और घोषित किया जाता है कि इस पालिसी के तहत किसी भी याचिका अथवा अधिकार की कार्यवाही शर्त से पूर्व यह होगी कि हानि या क्षति की राशि को पहले प्राप्त किया जाए।

12. इस पालिसी की बीमा अवधि के दौरान हर समय बीमाकृत राशि की पूरी मात्रा के लिए बीमा लागू रहेगा, जिसके बदले, इस पालिसी के तहत किसी हानि पर समझौता होने पर ऐसी क्षति की तिथि से बीमे की समाप्ति की तिथि तक असमाप्त अवधि के लिए यथानुपात प्रीमियम बीमाकृत द्वारा कंपनी को दिया जायेगा।

ऊपर उल्लिखित प्रीमियम की पालिसी के तहत भुगतानयोग्य शुद्ध दो की राशि में से काट लिया जायेगा। यह सत बीमा लाभ पूरी सीमा तक इस बात पर ध्यान दिये बिना प्रदान किया जायेगा कि इसके तहत कंपनी ने पहले किसी हानि की भरपाई की है और इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना भी कि ऐसी हानि के पश्चात् ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया है अथवा नहीं। इस शर्त का उद्देश्य बीमाकृत वस्तु को बीमा लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करना है जिसमें मात्र कंपनी के इस अधिकार की ही शर्त है कि दावे की राशि निर्धारित हो जाने पर उसमें से यथानुपात प्रीमियम की राशि काट ली जायेगी, जिसकी गणना हानि की तिथि से पालिसी की समाप्ति की तिथि तक की जायेगी।

ऊपर उल्लिखित बातों के होते हुए भी यदि हानि होने के तुरन्त पश्चात् बीमाकृत ऊपर बीमा की गई राशि की पुनः स्थापना न करने का विकल्प चुनता है तो बीमा की गई राशि में से हानि की मात्रा कम हो जायेगी।

अनुबंध - I

प्रतिबन्धित सूची :

निम्नलिखित उद्योग एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे :-

- (i) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24, जिसका संबंध तम्बाकू एवं विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापकों से है, के तहत शामिल सभी उत्पाद।
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पान मसाला।
- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 705(ई) दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई) दिनांक 17.6.2003 द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग।
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के तहत पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित वस्तु।

मूल्य संवर्धन

यो वस्तु जिनके संबंध में सिर्फ बाह्य कार्य जैसे कि भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई कार्य, पैकिंग, पुनः पैकिंग, वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण, ऍट्राई, खुदरा बिक्री मूल्य में बदलाव आदि किया जाता है उन पर एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ लागू नहीं होंगे।

अनुबंध - II

उच्च स्तरीय समिति/सलाहकार समिति

(i)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iii)	सचिव, बैंकिंग एवं बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(iv)	सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(v)	सलाहकार (औद्योगिक), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vi)	सलाहकार (पूर्वोत्तर), योजना आयोग।	...	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।	...	सदस्य
(viii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग)।	...	सदस्य
(ix)	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(x)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xi)	मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार।	...	सदस्य
(xii)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।	...	सदस्य सचिव

2. इस समिति के समक्ष निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :

समिति निम्नलिखित को मॉनीटर करेगी :-

- समयबद्ध रूप से एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत विभिन्न योजनाओं की अधिसूचना।
- एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत निधियों को जारी करने एवं उसके उपयोग सहित विभिन्न योजनाओं एवं उपायों की निगरानी करना।
- एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन में समय-समय पर आने वाली बाधाओं को दूर करना।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—In pursuance of the North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007 (NEIIPP, 2007) issued by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide O.M. No.10 (3)/2007-DBA-II/NER, dated the 1st April, 2007, the Government of India is pleased to make the following scheme of Comprehensive Insurance Subsidy for industrial units in the North Eastern Region (NER) comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura with a view to accelerating the industrial development in the NER.

1. Short Title: This Scheme may be called **Central Comprehensive Insurance Scheme, 2007**.
2. Commencement and Duration: It will come into effect from 1st April, 2007 and remain in force up to and inclusive of 31.3.2017.
3. Applicability: Unless otherwise specified, all new manufacturing industrial units as well as existing units which go in for substantial expansion and are located anywhere in NER, will be eligible for reimbursement of 100% insurance premium under Comprehensive Insurance Scheme. The Scheme will also be applicable to the following service sector activities/industries: -

I. Service Sector:

- (i) Hotels (not below Two Star category), adventure and leisure sports including ropeways;
- (ii) Medical and health services in the nature of nursing homes with a minimum capacity of 20 beds and old-age homes;
- (iii) Vocational training institutes such as institutes for hotel management, catering and food crafts, entrepreneurship development, nursing and para-medical, civil aviation related training, fashion, design and industrial training.

II. Bio-technology industry

III. Power Generating Industries:

Power Generating plants upto 10 MW based on both conventional and non-conventional sources.

- 3(a). The Scheme shall not be applicable to the industries listed in Annexure-I

4. Definitions:

- (a) Industrial Unit means any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs.
- (b) 'New industrial unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 1.4.2007
- (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were taken prior to 1.4.2007.

- (d) 'Substantial expansion' means increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than 25 %, for the purpose of expansion of capacity/modernization and diversification.

[Note: 'Plant and Machinery' and 'other components' which could be taken into account for the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-Technology industry & Power Generating industries referred to in para 3 (I, II & III) would be notified separately]

5. Fixation of Sum Insured: The policy shall be issued by the Insurance Company on market valuation to be declared by the proposer.

6. Designated Agency for disbursement of Subsidy: North Eastern Development Financial Corporation (NEDFi) Guwahati shall be the designated agency for disbursement of insurance premium on the basis of the recommendations of the State Level Committee (SLC) of the concerned State Government.

7. Mode of Operation: The insured party shall pay the initial premium which shall be reimbursed by the nodal agency (NEDFi) out of the revolving fund maintained by it. Funds for this revolving fund shall be contributed by Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy & Promotion. Insurance policies issued by all general insurance companies (private as well as PSU) registered with Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) will be treated as eligible for the benefit under the Scheme.

8. In respect of all units to whom the subsidy is disbursed by the NEDFi/State Government, Certificate of Utilization of subsidy for the purpose for which it was given shall be furnished to the Central Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) by the financial Institution/State Government concerned within a period of one year from the date of receipt of last installment/full amount.

9. The Insurance policy envisaged under the Scheme will be as indicated in Annexure-A.

10. A High Level Monitoring Committee has been set up as in Annexure-II which would monitor implementation of the Scheme.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY FOR INDUSTRIAL UNIT IN NORTH EAST REGION

IN CONSIDERATION OF the Insured named in the schedule hereto having paid to the ----- Insurance Company Limited (hereinafter called the company) the premium mentioned in the said schedule, THE COMPANY AGREES, (subject to the conditions and exclusions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon) that if after payment of the premium the property insured described in the said schedule or any part of such property be destroyed or damaged by the following:-

- i. Fire
- ii. Lightning
- iii. Explosion/Implosion but excluding loss of or damage
 - (a) to boilers (other than domestic boilers), economizers or other vessels, machinery apparatus in which steam is generated or their contents resulting from their explosion/implosion,
 - (b) caused by centrifugal force.
- iv. Riot, Strike, Malicious and terrorist Damage as per Riot, Strike, Malicious and terrorist Damage clause printed hereon.
- v. Impact by any Rail/Road vehicle or animal.
- vi. Aircraft and other aerial and/or space devices and/or articles dropped therefrom, excluding destruction or damage occasioned by pressure waves caused by such devices,
- vii. Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation.
- viii. Subsidence and Landslide (including Rockslide) resulting in collapse of the entire building or part of.
- ix. Earthquake Fire and Shock.

During the period of insurance named in the said schedule or of any subsequent period in respect of which the insured shall have paid and the Company shall have accepted the premium required for the renewal of the policy, the Company will pay to the Insured the value of the Property at the time of the happening of its destruction or the amount of such damage or at its option reinstate or replace such Property or any part thereof.

PROVIDED that the liability of the Company shall in no case exceed in respect of each item the sums expressed in the said Schedule to be insured thereon or in the whole the total sum insured hereby or such other sum or sums as may be substituted thereof by memorandum hereon or attached hereto signed by or on behalf of the company."

RIOT, STRIKE, MALICIOUS AND TERRORIST DAMAGE CLAUSE.

This Policy covers Riot, Strike Malicious and Terrorist Damage as under:-

- 1) Loss of or visible physical damage by external violent means to the property insured directly caused by:
 - 1) The act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in exclusion 7(a), (b).
 - 2) The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimising the consequence of any such disturbance.

- 3) The willful act of any striker or locked out worker done in furtherance of strike or in resistance to a lock out resulting in visible physical damage by external violent means.
 - 4) The action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.
 - 5) Any malicious act but excluding any omission of any kind of any person (whether or not such act is committed in the course of a disturbance of public peace) provided that the Company shall not be liable for any loss or damage arising out of or in the course of burglary, housebreaking, theft or larceny or any attempt by any person taking part therein.
- II) Loss of or Damage to the property insured by explosion or otherwise directly caused by:
1. An act of terrorism committed by a person or persons acting on behalf of or in connection with any organization.
 2. The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such act, of terrorism or in minimizing the consequences thereof.
For the purpose of this clause "terrorism" shall mean the use of violence for political ends and shall include any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

EXCLUSIONS

THIS INSURANCE DOES NOT COVER

1. Loss by theft during or after the occurrence of any insured peril except as provided for the Riot, Strike and Malicious Damage Clause.
2. Loss or damage to property occasioned by its undergoing any heating or drying process.
3. Loss or damage occasioned by or through or in consequence of
 - (a) The burning of property on order of any public authority
 - (b) Subterranean fire.
4. Loss of damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by nuclear weapons material.
5. Loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by ionising radiations or contaminations by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this Exclusion only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
6. Loss or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fitting (including electric fans, electric household or domestic appliances, wireless sets etc. television sets and radios) or to any portion of the electrical installation, arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage or electricity, from whatever cause (lightning included) provided that this exemption shall apply only to the particular electrical machine, apparatus, fixture, fitting, or portions of the electrical installation so affected and not to other machines, apparatus, fixtures, fittings, or portions of the electrical installation which may be destroyed or damaged by fire so set up.

7. Loss or damage occasioned by or through or in consequence directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely,
 (a) War, invasion, act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,
 (b) Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power.

In any action, suit or other proceeding where the company alleges that by reason of the provisions of the above exclusions any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured.

8. Loss or damage to bullions or unset precious stones, any curios or work of art, for an amount exceeding Rs. 1000/-, manuscripts plans, drawings, patterns, models or moulds, securities, obligations or documents of any kind, stamps, coins or paper money, cheques, books of account or other business books, computer system records, explosives, unless otherwise expressly stated in the policy.
9. Property insured if removed to any building or place other than in which it is herein stated to be insured except Machinery and Equipments temporarily removed for repairs, cleaning, renovation or other similar purposes for a period not exceeding 60 days.

This insurance does not cover:

- (a) Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever.
- (b) Loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation or omissions of any kind.
- (c) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation commandeering or requisition by any lawfully constituted authority.
- (d) Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building or plant or unit or machinery resulting from the lawful occupation by any person of such building or plant or unit or machinery or prevention of access to the same.

PROVIDED nevertheless that the Company is not relieved under © or (d) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

CONDITIONS

1. THIS POLICY shall be voidable in the event of mis-representation, mis-description or non-disclosure of any material particular.
2. All insurance under this policy shall cease on expiry of seven days from the date of fall or displacement of any building or part thereof or of the whole or any part of any range of building or of any structure of which such building forms part.

PROVIDED such a fall or displacement is not caused by insured perils loss or damage by which is covered this policy or would be covered is such building, range of buildings or structure were insured under this policy. Notwithstanding the above, the company, subject to an express notice being given as soon as possible but not later than 7 days of any such fall or displacement, may agree to continue the insurance subject to revised rates, terms and conditions as may be decided by it and confirmed in writing to this effect.

3. This insurance may be terminated at any time at the request of the insured, in which case the company will retain the premium at customary short period rate for the time the policy has been in force. This insurance may also at any time be terminated at the option of the Company on 15 days notice to that effect being given to the Insured, in which case the company shall be liable to repay on demand a retable proportion of the premium for the un-expired term from the date of the cancellation.

4. (1) On the happening of any loss or damage the insured shall forthwith give notice thereof to the company and shall within 15 days after the loss or damage or such further time as the company may in writing allow in that behalf, deliver to the company.

(a) A claim in writing for the loss or damage containing as particular an account as may be reasonably practicable of all the several articles or items or property damage or destroyed, and of the amount of the loss or damage thereto respectively, having regard to their value at the time of the loss or damage not including profit of any kind.

(b) Particulars of all other insurances, if any.

The insured shall also at all time at his own expense produce, procure and give to the company all such further particulars, plans, specification books, vouchers, invoices, duplicates or copies thereof, documents, investigation reports (internal/external), proofs and information with respect to the claim and origin and cause of the fire and the circumstances under which the loss or damage occurred and any matter touching liability or the amount of the liability of the Company as may be reasonably required by or on behalf of the Company together with a declaration and oath or in other legal form of the truth of the claims and of any matters connected therewith.

No claim under this policy shall be payable unless the terms of this condition have been complied with.

(ii) The Company reserves the right to treat the claim as no claim if no information/documents are submitted by the insured within a period of 6 months from the date of loss.

(iii) In no case whatsoever shall the Company be liable for any loss or damage after the expiration of 12 months from the happening of the loss or damage unless the claim is the subject of pending action or arbitration; it being expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability for any claim hereunder and such claim shall not within 12 calendar months from the date of the disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

5. On the happening of loss or damage to any of the property insured by this policy, the Company may:-

- (a) enter and take and keep possession of the building or premises where the loss or damage has happened.
- (b) take possession of or require to be delivered to it any property of the insured in the building or on the premises at the time of the loss or damage.
- (c) keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal with the same.
- (d) sell any such property or dispose of the same for account of whom it may concern.

The powers conferred by this condition shall be exercisable by the Company any time until notice in writing is given by the insured that he makes no claim under the policy, or if any claim is made, until such claim is finally determined or withdrawn, and the company shall not by any act done in the exercise or purported exercise of its powers hereunder, incur any liability to the insured or diminish its rights to rely upon any of the conditions of this policy in answer to any claim etc.

If the insured or any person on his behalf shall not comply with the requirements of the Company or shall hinder or obstruct the Company, in the exercise of its powers hereunder, all benefits under this policy shall be forfeited.

The Insured shall not in any case be entitled to abandon any property to the Company whether taken possession of by the Company or not.

- 6. If the claim be in any respect fraudulent, or if any false declaration be made or used in support thereof or if any fraudulent means or devices are used by the insured or any one acting on his behalf to obtain any benefit under the policy or if the loss or damage be occasioned by the willful act, or with the connivance of the insured, all benefits under this policy be forfeited.
- 7. If the company at its option, reinstate or replace the property damaged or destroyed or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damages, or join with any other Company or Insure(s) in so doing, the Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall the Company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage nor more than the sum insured by the Company thereon.

If the Company so elect to reinstate or replace any property, the insured shall at his own expense furnish the Company with such plans. Specifications, measurements, quantities and such other particulars as the Company, may require, and no acts done, or caused to be done, by the company with a view to reinstatement or replacement shall be deemed an election by the company to reinstate or replace.

If in any case the Company shall be unable to reinstate or repair the property hereby insured, because of any municipal or other regulations in force affecting the alignment of streets or the construction of buildings or otherwise, the Company shall in every such case, only be liable to pay such sum as would be requisite to reinstate to its former condition.

8. The insured shall at the expense of the Company do and concur in doing, and permit to be done, all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the Company shall be or would become entitled or subrogated, upon its paying for or making good any loss or damage under this policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the Company.
9. If at any time of any loss or damage happening to any property hereby insured there be any other subsisting insurance or insurances, whether effected by the insured or by any other person or persons covering the same property, this Company shall not be liable to pay or contribute more than its retable proportion of such loss or damage.
10. If the property hereby insured shall at the breaking out of any insured peril, be collectively of greater value than the sum insured thereon, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference, and shall bear a retable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one of the policy shall be separately subject to this condition.

Provided, however, that if the sum insured hereby on the property insured shall at the operation of any of the perils insured under this Policy or at the commencement of such destruction or damage be not less than 85% (eight-five per cent) of the collective value of the property insured, this condition shall be of no purpose and effect.

11. If any dispute or difference shall arise as to the quantum to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by the parties to or they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration the same shall be referred to a panel of three arbitrators, comprising of two arbitrators, one to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators and arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as herein before provided, if the company had disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this policy that the award by such arbitrator/arbitrators of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

12. At all times during the period of insurance of this policy the insurance cover will be maintained to the full extent of the respective sum insured in consideration of which, upon the settlement of any loss under this policy, pro rata premium for the unexpired period from the date of such

loss to the expiry period of insurance for the amount of such loss shall be payable by the Insured to the Company.

The additional premium referred above shall be deducted from the net claim payable under the policy. This continuous cover to the full extent will be available notwithstanding any previous loss for which the Company may have paid hereunder and irrespective of the fact whether the additional premium as mentioned above has been actually paid or not following such loss. The intention of this condition is to ensure continuity of the cover to the insured subject only to the right of the company for deduction from the claim amount, when settled of pro-rata premium to be calculated from the date of loss till expiry of the policy.

Notwithstanding what is stated above, the Sum Insured shall stand reduced by the amount of loss in case the insured immediately on occurrence of the loss exercises his option not to reinstate the sum insured as above.

ANNEXURE-I**Negative List:**

The following industries will not be eligible for benefits under NEIIPP, 2007:-

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No.S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O.698 (E) dated 17.6.2003.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by petroleum oil or gas refineries.

Value Addition

Benefits under NEIIPP, 2007 will not be admissible to goods in respect of which only peripheral activities like preservation during storage, cleaning operations, packing, re-packing, labelling or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place.

ANNEXURE-II**High Level Committee/Advisory Committee**

(i)	Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Chairman
(ii)	Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member

(iii)	Secretary, Department of Banking and Insurance, Ministry of Finance, Government of India.	...	Member
(iv)	Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, Government of India	...	Member
(v)	Adviser (Industry), Planning Commission	...	Member
(vi)	Adviser (NE), Planning Commission	...	Member
(vii)	Chairman-cum-Managing Director, North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati.	...	Member
(viii)	Principal Secretary/Secretary (Industry), of all the State Governments of North Eastern Region.	...	Member
(ix)	Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India.	...	Member
(x)	Additional Secretary & Financial Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	...	Member
(xi)	Chief Controller of Accounts, Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India	...	Member
(xii)	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	...	Member Secretary

2. The terms of reference of this Committee will be as under:

The Committee would monitor the following:-

- (i) Notification of various Schemes under NEIIPP, 2007 in a timely manner.
- (ii) Monitoring of various Schemes/measures under NEIIPP, 2007 including release and utilisation of funds.
- (iii) To overcome the difficulties in implementation of NEIIPP, 2007, which may arise from time to time.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

No. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार
एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना
सं. 10(3)/2007 डीबीए-II/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय
पूँजी राजसहायता योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती
है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और
(ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएं" था, निम्नलिखित
प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. परिभाषाएं :

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है ऐसी औद्योगिक
इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस को
या उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ
करे।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक
इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central
Government hereby makes the following amendments in

the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-paras (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

"4 Definitions :

(b) 'New industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.

(c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007".

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार
एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना
सं. 10(3)/2007 डीबीए-II/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय
व्याज राजसहायता योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती
है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और
(ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएं" था, निम्नलिखित
प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. परिभाषाएं :

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है ऐसी औद्योगिक
इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस को या

उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ करे।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Interest Subsidy Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-paras (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

"4. Definitions:

- (b) 'New industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.
- (c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007."

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007 डीबीए-II/एनईआर में, जिसका शीर्षक 'केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2007' था, निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. उपर्युक्त के पैरा 4 के तहत मौजूदा, उप-पैरा (ख) और (ग) के स्थान पर, जिसका शीर्षक "परिभाषाएं" था, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. परिभाषाएं:

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो व्यावसायिक उत्पादन अप्रैल, 2007 के प्रथम दिवस से या उसके बाद लेकिन मार्च, 2017 के 31वें दिन के बाद नहीं, आरंभ करे।

(ग) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का अर्थ है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो 1-4-2007 से पहले व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करे।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Comprehensive Insurance Scheme, 2007'.

2. In place of existing sub-paras (b) and (c) under para 4 thereof titled 'Definitions', the following shall be substituted:

"4 Definitions :

- (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit which commences commercial production on or after the first day of April, 2007 but not later than 31st day of March, 2017.
- (c) 'Existing industrial unit' means an industrial unit which commenced commercial production before 1-4-2007."

N. N. PRASAD, Jt. Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/आश्विन 2, 1929

No. 279]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.— केन्द्र सरकार एतद्वारा 'केन्द्रीय व्याज राजसहायता योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (च) (घ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

4(च) (घ) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।

3. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (च)(ङ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

4(च) (ङ) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

- (i) होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।
- (ii) रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल: परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अवयवों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।
- (iii) नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोज्य व प्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर।
- (iv) वृद्धाश्रम: इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीडा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, विलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।
- (v) निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान:
 - होटल प्रबंधन
 - कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
 - उद्यमिता विकास
 - नर्सिंग और पैरामेडिकल
 - नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
 - फैशन
 - डिजाइन
 - औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हों और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोज्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

IV. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग:

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरणों, सहायक सामग्री, अतिरिक्त पुर्जों, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं को सामूहिक रूप से “संयंत्र और मशीनरी” के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोग्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योग:

“विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों की लागत शामिल होगी।

- (क) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।
- (ख) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या बहन हेतु मैसी-मो-सडण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।
- (ग) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।”
- (घ) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

- (1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।
- (2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्च/लागत एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- (3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- (4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।
- (5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।
- (6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।
- (7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।
- (8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।
- (9) एस.एल.सी. के समस्त दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के व्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों में परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के व्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।
- (10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जाँच करेगी।

- (11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (i) के तहत दिया गया पाद 'टिप्पण' (फुटनोट) हटाया हुआ माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10 (3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Interest Subsidy Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (f) (D) shall be inserted as under:

4(f)(D) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.

3. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (f) (E) shall be inserted as under:

4(f)(E) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. SERVICE SECTORS

- i. Hotels (Not below 'Two Star' category): The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of a hotel.
- ii. Adventure and leisure sports including ropeways: The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.

3959 GF/07-2

- iii. Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds): The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.
- iv. Oldage homes: The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.
- v. Vocational Training Institutes for :
 - hotel management :
 - catering and foodcrafts:
 - entrepreneurship development:
 - nursing and paramedical:
 - civil aviation related training:
 - fashion:
 - design:
 - industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land) all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding disposable items/components, will be taken in account.

II. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station, the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

(a)

The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any,

- will be taken into account but does not include any sub-station.
- (b) The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carriers to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.
- (c) The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.
- (d) Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

- (1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.
- (2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.
- (3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.
- (4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.
- (5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.
- (6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.
- (7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.
- (8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.
- (9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses.

- (10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.
- (11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.
4. The footnote under sub para (i) of para 4 titled 'Definitions', shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं.10 (3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.— केन्द्र सरकार एतद्वारा 'केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (छ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

(छ) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।

3. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (ज) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

(ज) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

- (i) होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।
- (ii) रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल: परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अवयवों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।
- (iii) नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोज्य व प्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर।
- (iv) वृद्धाश्रम: इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीडा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, विलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।
- (v) निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान:
 - होटल प्रबंधन
 - कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
 - उद्यमिता विकास
 - नर्सिंग और पैरामेडिकल
 - नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
 - फैशन
 - डिजाइन
 - औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हों और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोज्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

II. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग:

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरण, सहायक सामग्री, अतिरिक्त पुर्जें, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं को सामूहिक रूप से “संयंत्र और मशीनरी” के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोग्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योग:

विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों की लागत शामिल होगी।

(क) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।

(ख) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या वहन हेतु मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।

(ग) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।

(घ) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

- (1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।
- (2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्च/लागत एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- (3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- (4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।
- (5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।
- (6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।
- (7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।
- (8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।
- (9) एस.एल.सी. के समक्ष दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के व्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों में परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के व्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।
- (10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जाँच करेगी।

- (11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना के पैरा सं. 6(क) के तहत दिया गया पादटिप्पण (फुटनोट) हटाया हुआ माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.— The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification-No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (g) shall be inserted as under:

- (g) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.

3. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (h) shall be inserted as under:

- (h) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. SERVICE SECTORS

- (i) Hotels (Not below 'Two Star' category): The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of a hotel.
- (ii) Adventure and leisure sports including ropeways: The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.
- (iii) Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds): The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.

- (iv) Oldage homes: The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.
- (v) Vocational Training Institutes for :
- hotel management :
 - catering and foodcrafts:
 - entrepreneurship development:
 - nursing and paramedical:
 - civil aviation related training:
 - fashion:
 - design:
 - industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land) all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding consumables & disposable items/components, will be taken in account.

H. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables and disposables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station, the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

- (a) The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, will be taken into account but does not include any sub-station.

- (b) The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carrier to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.
- (c) The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.
- (d) Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

- (1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.
- (2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.
- (3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.
- (4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.
- (5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.
- (6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.
- (7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.
- (8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.
- (9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses.

- (10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.
- (11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.
4. The footnote under Para 6(a) of the Notification dated 27th July, 2007, shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्वारा 'केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (ड) और (च) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

- (ड) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।
- (च) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

- (i) होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।

- (ii) रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल: परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अवयवों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।
- (iii) नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित): भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोग्य व प्रयोग्य वस्तुओं को छोड़कर।
- (iv) वृद्धाश्रम: इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीडा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, विलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।
- (v) निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान:
 - होटल प्रबंधन
 - कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
 - उद्यमिता विकास
 - नर्सिंग और पैरामेडिकल
 - नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
 - फैशन
 - डिजाइन
 - औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हों और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोग्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

II. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग:

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरण, सहायक सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं

को सामूहिक रूप से “संयंत्र और मशीनरी” के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोग्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योग:

“विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों की लागत शामिल होगी।

- (i) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।
- (ii) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या वहन हेतु मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।
- (iii) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।”
- (iv) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

- (1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।
- (2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्च/लागत एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- (3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- (4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।
- (5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।
- (6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।
- (7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।
- (8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।
- (9) एस.एल.सी. के समक्ष दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के व्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों में परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के व्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।
- (10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी

प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जांच करेगी।

- (11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के तहत दिया गया पाद 'टिप्पण' (फुटनोट) हटाया हुआ — माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.— The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Comprehensive Insurance Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-paras (e) & (f) shall be inserted as under:

- (e) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.
- (f) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. SERVICE SECTORS

- (i) Hotels (Not below 'Two Star' category): The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of the hotel.
- (ii) Adventure and leisure sports including ropeways: The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.
- (iii) Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds): The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.

(iv) Oldage homes: The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.

(v) Vocational Training Institutes for :

- hotel management :
- catering and foodcrafts:
- entrepreneurship development:
- nursing and paramedical:
- civil aviation related training:
- fashion:
- design:
- industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land) all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding disposable items/components, will be taken in account.

II. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station, the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

- i. The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, will be taken into account but does not include any sub-station.
- ii. The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carriers to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.
- iii. The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.
- iv. Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

- (1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.
- (2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.
- (3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.
- (4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.
- (5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.
- (6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.
- (7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.
- (8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.



- (9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses. This procedure would apply on those projects the cost of which exceeds Rs. 1 crore but does not exceed Rs. 30 crore.
 - (10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.
 - (11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.
4. The footnote under para 4 titled 'Definitions', shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.